राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान जयपुर

(E mail: DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN 2227725)

क्रमांक:— एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019 दिनांक

(आदेश..../2020)

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 में संशोधन

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या—1.5 एवं कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या—1.4 की पालना में सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: एफ 61 (21) SSAAT /नियमावली/2019/7497—7514 दिनांक 12.03.2020 के द्वारा जारी किये गये है।

वर्तमान में कोविड—19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के प्रकाश में सोसायटी की कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 29.07.2020 में इन नियमों के प्रावधानों पर पुनः विचार विमर्श किया गया और निर्णय संख्या 2.8 के द्वारा इन नियमों में उपयुक्त संशोधन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में पूर्व में जारी किये गये संर्भित आदेश क्रमांक: एफ 61(21) SSAAT/नियमावली/2019/7497—7514 दिनांक 12.03.2020 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:—

1. सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम,2020 में नियम—5(iV)—लिखित परीक्षा आयोजन तथा नियम 5(V) शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता परीक्षाओं में प्राप्ताकों के प्रतिशत का औसत के आधार पर चयन संबंधी प्रावधानों में निम्न संशोधन किया जाता है :—

   "सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिए इन नियमों में लिखित परीक्षा आयोजन किये जाने के प्रावधान को कोविड—19 की परिस्थितियों को मध्यनजर हटाया जाता है। अब चयन हेतु लिखित परीक्षा के स्थान पर इन नियमों में प्रावधित केवल न्यून्तम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Educational Qualification) में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर ही (प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों को शामिल किये बिना) वरीयता सूची बनाकर चयन प्रक्रिया संपादित की जावेगी।"

2. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों BRPs की प्रशैक्षणिक योग्यता के बाबत् उपरोक्त नियमों के प्रावधानों में नियम 4 (द) (ii)—"प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता—सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर कार्य में दक्षता अनिवार्य है" में निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है:—

   "Rajasthan Knowledge Corporastion Ltd.(RKCL) द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण—पत्र (RSCIT) या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा"।

3. सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु नियमानुसार (RTPP Act,2012 & RTPP Rules,2013 के प्रावधानानुसार) चयनित संस्था/संवेदक के माध्यम से केवल ऑनलाईन (Online) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ आवेदन—पत्र लिए जावेंगे। अनुमोदित संस्था/संवेदक द्वारा आवेदकों की पात्रता संबंधी सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की जाकर पूर्ण पारदर्शिता पूर्वक सभी आवेदकों की सामान्य वरीयता सूची और आरक्षण हेतु अपेक्षित वर्गवार वरीयता

सूचियां आवश्यकतानुसार पूर्ण वस्तुनिष्ठता से (Objectively) तैयार की जाकर सोसायटी को उपलब्ध करायी जावेगी।

उपरोक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

उपरोक्त सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 में संशोधन श्रीमान् मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष, शासी निकाय (SSAAT) की आई.डी.संख्या 3439/सीएस/2020 दिनांक 26.8.2020 द्वारा अनुमोदित है।

sd-

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)

कमाकः– एफ 6(21))SSAAT/नियमावली/2019 / 1806-22 दिनांक 27-11-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा.मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष महो. शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव एवं सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
4. संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ग्रा.वि. मंत्रालय, भारत–सरकार, नई दिल्ली।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान।
6. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग।
8. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
9. आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा।
10. विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
11. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग
13. वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास विभाग।
14. निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी(SSAAT)।
15. प्रभारी अधिकारी वेबसाईट ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/महात्मा गाँधी नरेगा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग की वेबसाईट पर इन संशोधित विनियमों को स्थायी रूप से प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
16. कार्यालयाध्यक्ष/सहायक लेखाधिकारी–I /II/प्रोग्रामर
17. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)